

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1996 सत्र १३

ैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 1996 (अग्रहायण 21, 1918)

समय १०.३० बजे दिन

१. प्रवृत्तोत्तर

पुरुषकृतः वितरित सूची में समिमतित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के डॉकेतीप्रस्त थेट्र से परस.प.एफ. की कम्पनी हटाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री ईश्वरदास रोहणी, सदस्य, जबलपुर नगर निगम आयुक्त के साथ कुछ पार्षदों द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री चैन सिंह सामले, सदस्य, बिलासपुर ज़िले के मालखरौदा विकासखण्ड में शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करें।

(4) सर्वश्री लल्लू सिंह, डॉ. सीतासरन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, शहडोल जिले के सोहागपुर उप नगर में रामलीला मंच से दुर्गा जी की प्रतिमा हटाये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

३. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री परस्पराम धुर्वें, सभापति, प्राक्कलन समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

4. यांचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामलखन सिंह (त्यौधर), सदस्य, शीवा जिले के प्राम भिगुड़ी से अमिलिया तक सड़क बनाये जाने;

(2) श्री रजिन्द्रपाल सिंह भटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के -

- (क) प्राम शिकारी टोला के कृषकों को फसल बीमा का लाभ दिलाये जाने ;
 (ख) प्राम झींधरा टोला के कृषकों को फसल बीमा का लाभ दिलाये जाने ; तथा
 (ग) मटिया मोती जलाशय वेस्ट वियर पर पुल निर्माण कराये जाने ,

के संबंध में घाविकाये प्रस्तुत करेगे।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गवालियर व्यापार मेला प्राधिकरण विधेयक, 1996 (क्रमांक ३० सन् 1996) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(2) श्री अशोक राव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक अभिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

THE FEDERAL TRADE COMMISSION

(३) श्री तनवन्त सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नमारपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 28 सन् 1996) पर विचार किया जाय।

(३) श्री तनबन्त सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 28 सन् 1996) पर विचार किया जाय।

३० मि. (4) श्री नर्मदा प्रस्ताव प्रजापति, ऊर्जा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 31 सन् 1996) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल द्वारा लौटाये गये मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 20 सन् 1996) पर पुनर्विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, रामलखन सिंह (त्यौहार), गौरीशंकर बिसेन, डॉ. दाल सिंह बिसेन, बनवारीलाल अग्रवाल, लक्ष्मीकांत शर्मा, रमेश शर्मा, बुजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, जयकरण साकेत तथा रामलखन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

7. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की धर्ता

दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 को वन मंत्री से पुछे गये ताराकित प्रश्न संख्या 17 (क्रमांक 186) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

भोपाल : शिव पात्र के लिए नई संस्कृति, 1996
दिनांक : 11 दिसम्बर, 1996